

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 31.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में माह मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 तक अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सेवा अवधि में निम्नानुसार सेवावृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों का माह	सेवा अभिवृद्धि माह
1	माह मार्च, 2020	6 माह
2	माह अप्रैल, 2020	5 माह
3	माह मई, 2020	4 माह
4	माह जून, 2020	3 माह
5	माह जुलाई, 2020	2 माह
6	माह अगस्त, 2020	1 माह

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक 102001747 दिनांक 30.03.2020 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
4. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव प्रथम, वित्त (नियम) विभाग।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.
11. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माह मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 तक होने वाले सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पृथक-पृथक पत्रावली वित्त विभाग से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत करावें।
12. निदेशक (ई. एस. आई./एम. एस. यू./एडस), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
13. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
16. निजी /रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव